न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 188 / 2023

प्रार्थीगण

1. अचलाराम पत्रु चेनाराम
2. अणदूदेवी पतिन चेनाराम
3. ठाकरराराम पुत्र चेनाराम
4. देराजराम पुत्र किरताराम
5. दौलाराम पुत्र किरताराम
6. पेमीदेवी पत्नि किरताराम

जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र करनाराम
2. ठाकरराम पुत्र भूराराम
3. रूगनाथराम पत्रु भूराराम
4. सांवलाराम पुत्र भूराराम
5. हीरोंदेवी पत्नि भूराराम
6. अणदाराम पुत्र चुतराराम
7. खेमाराम पुत्र गोमाराम
8. गवरी पत्नि गोमाराम
9. चौलाराम पुत्र करनाराम
10. दमाराम पत्रु गोमाराम
11. नरींगाराम पुत्र गोमाराम
12. मोटाराम पुत्र चुतराराम
13. रतनाराम पुत्र करनाराम
14. रायमलराम पुत्र गोमाराम
15. लिखमाराम पत्रु चुतराराम
16. साजनराम पुत्र गोमाराम
17. अचलाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम
18. गवरीदेवी पत्नि टीकूराम उर्फ टीकमाराम
19. गोधूराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम
20. जोगाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम
21. भोमाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम
22. राउराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम
23. हिमथाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम
24. जालाराम पुत्र राजूराम
25. पदमाराम पुत्र मोटाराम
26. मगाराम पुत्र डूंगराराम
27. [illegible] पुत्र डूंगराराम
28. पूनमाराम पुत्र डूंगराराम
29. राणाराम पुत्र [illegible]
30. अमरूदेवी पत्नि सवाराम
31. सवाराम पुत्र कालूराम
32. आईदानराम पुत्र ईशराराम
33. खेताराम पुत्र नन्दराम
34. चेतनराम पुत्र हड़मानराम
35. जेठाराम पुत्र हड़मानराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested

36. पेंपो पत्नि हड़मानराम
37. पेंपो पत्नि हड़मानराम
38. पेमाराम पुत्र हडमानराम
39. पेमाराम पुत्र हडमानराम
40. मालाराम पुत्र जगमालराम
41. राउराम पुत्र जगमालराम
42. शेराराम पुत्र जगमालराम
43. हुकमाराम पुत्र हडमानराम
44. हुकमाराम पुत्र जगमालराम जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
45. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 30.01.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 492 रकबा 1.7394 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 494 रकबा 1.3672 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 492 रकबा 1.7394 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 494 रकबा 1.3672 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 492 रकबा 1.7394 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 494 रकबा 1.3672 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 492 रकबा 1.7394 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 494 रकबा 1.3672 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 492 रकबा 1.7394 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 494 रकबा 1.3672 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्राथीगर्ण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्राथीगर्ण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्राथीगर्ण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खे़त खसरा संख्या 492 रकबा 1.7394 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 494 रकबा 1.3672 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते ... निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा ... रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।